झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 09.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	**डॉ0 नीरा यादव स0वि0स0** **श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0** **श्री अमित कुमार मंडल स0वि0स0**	''राज्य अन्तर्गत जिला कोडरमा, जो खनिज सम्पदा ''अबरख'' के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान रखती थी। एकीकृत बिहार के समय यहा इसी खनिज सम्पदा से राजस्व की प्राप्तियाँ होती थी। साथ ही इसी पर ढिबरा उद्योग स्थापित थी, जो आज मरणासन्न अवस्था में हो गयी है। इसी खनिज सम्पदा और इस पर आधारित उद्योग से क्षेत्र के अधिकांश आबादी की आजीविका निर्भर थी। अबरख को ई-ऑक्शन नहीं करा कर रैयती एवं गैर-मजरूआ जमीन पर पत्थर के तरह खनिज पट्टा दिये जाने से यहाँ का व्यवसाय फिर से पुर्नजीवित हो जायेगा, यहाँ के लोगों के आजीविका सुरक्षित रह पाएगी तथा राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। साथ ही राज्य से पलायन पर अंकुश लगेगा। अबरख का माईनिंग अण्डर ग्राउण्ड होती है। इसलिए आजतक कोई मूल्य निर्धारित नहीं हो सकी, जिस कारण अबरख माईन्स के लिए आजतक कोई ई-ऑक्शन हेतु विज्ञापन भी नहीं निकाली जा सकी है।''	**खान एवं भूतत्व**

01.	02.	03.	04.
		अतः सरकार से मांग करती हूँ कि जिस प्रकार रैयती जमीन पर सरकार के सारे नियमों को पूर्ण करने वाले जमीन पर पत्थर का खनिज पट्टा दिया जा रहा है, जो जमीन वन सीमा से बाहर है, जो ईको-सेंसेंटिव जोन से बाहर है और मानव वसावट से 500 मी0 दूरी पर अवस्थित है, वैसी रैयती एवं गैर-मजरूआ जमीन पर खनिज पट्टा दी जाय, जिस हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूँ।	
02–	श्री बसंत सोरेन स0वि0स0	दुमका विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मसलिया प्रखण्ड के मसानजोर पंचायत अवस्थित छोटा चापुड़िया में पावर हाऊस बनाने का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष- 2021-22 में ही पारित था, परन्तु सिविल बजट पारित नहीं होने के कारण पावर हाऊस निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसके कारण मसलिया प्रखण्ड के पश्चिमी भाग का लगभग 100 गाँव प्रभावित हो रहा है। अतः मैं इस योजना की शुरूआत हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	ऊर्जा
03–	डॉ0 इरफान अंसारी स0वि0स0 श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0 श्री उमाशंकर अकेला स0वि0स0	माननीय मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग का ध्यान मैं जामताड़ा जिला के बोका-बोका-पहाड़ी की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि यह पहाड़ी आदिवासी जनजाति समुदाय के लिए आस्था, श्रद्धा एवं पूजा का केन्द्र है। जहाँ आदिवासी भाई, बहन उक्त पहाड़ की पूजा अर्चना करते है। परन्तु विभाग द्वारा उक्त पहाड़ी को मैक्स कम्पनी को लीज पर दे दिया गया है। पहाड़ी को लीज पर दिये जाने के कारण आदिवासी समुदाय की धार्मिक आस्था आहत हुई है एवं पर्यावरण का नुकसान भी हो रहा है। अतः मैं लोकहित एवं आदिवासी समुदाय की धार्मिक आस्था और मान्यता को ध्यान में रखते हुए मैं उक्त लीज रद्द करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	खान एवं भूतत्व

01.	02.	03.	04.
04-	श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0 श्री निरल पुरती स0वि0स0 श्री सुखराम उराँव स0वि0स0	ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से मैं माँग करता हूँ कि प्राथमिक शिक्षकों का गृह जिला स्थानांतरण नियमावली-2019 को संशोधित करते हुए 2014, 2015, 2016 एवं 2019 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को गृह जिला स्थानांतरण में पुरुष शिक्षकों का समय सीमा को समाप्त करते हुए गृह जिला स्थानांतरण सामान्य एवं पारस्परिक दोनों परिस्थिति में किया जाय।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
05-	श्री भानु प्रताप शाही स0वि0स0	मेरे भवनाथपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड केतार अंतर्गत सोन नदी तटीय एवं पंडा नदी तटीय में पड़ने वाले गाँव जैसेः- खोखा, रजखड़, चंदना, हरिहरगंज, परती, मुनमुन, पाचाड्डमर, सोनबरसा, गमहरिया, बीजडीह, चांदडीह, खैरवा, कधवन, कोसडीहरा, मेरौनी, लोहरगड़ा,हरिहरपुर, दारीदह, श्रीनगर, घुटुरवा, डूमरसोता एवं पंडा नदी तटीय में पड़ने वाले गाँव :- राजी, सुडी, करिवाडीह, सिसरी, तोरेलवा, अरंगी, गटीअरवा, चौरिया, कोनहर, अजनिया, मोटगवा, दाशीपुर, केतार, नावाडीह, बेलाबार, मकुंदपुर, सिंहपुर, ताली, परसोडीह, बांसडीह, चौरा, हुरका, गुरुड में प्रत्येक वर्ष वर्षा के समय ग्रामीणों का सैकड़ो एकड़ उपजाऊ जमीन बाढ़ के कटाव से बहते जा रही है। अतः सदन के माध्यम से सरकार को ध्यान आकृष्ट कराना चाहते है कि उपरोक्त सभी गाँवों में तटबंध बना देने से ग्रामीणों का सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन को बाढ़ के कटाव से बचायी जा सकती है।	जल संसाधन

राँची,
दिनांक- 09 मार्च, 2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–01/2022–...1152.../वि0 स0, राँची, दिनांक– 8/3/22

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ खान एवं भूतत्व विभाग/ऊर्जा विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं जल संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–01/2022–..1152.../वि0 स0, राँची, दिनांक– 8/3/22

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/–